खण्ड - ३

अध्याय - १५

श्रमनीति

औद्योगिक सम्बन्ध

—भारतीय मजदूर संघ

प्रस्तावना

राष्ट्रीय श्रम आयोग को भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रस्तुत किये गये "LABOUR POLICY" नामक अंग्रेजी पुस्तक का यह हिन्दी अनुवाद है।

इस पुस्तक के सभी २० अध्याय अलग-अलग पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किये गये हैं।

आपात्कालीन स्थति के अन्तर्गत कारावास की अवधि में इस अध्याय का अनुवाद आई० आई० टी० कानपुर के प्राध्यापक डा० भूषणलाल धूपड़ के सहयोग से लिया गया है।

हम उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं।

—रामनरेश सिंह

खण्ड ३

अध्याय १५

श्रम सम्बन्धी जानकारी एवं शोध

विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेद उभयं सह ।
अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥

[जो ज्ञान व अज्ञान दोनों को समझता है, वह अज्ञान से मृत्यु को प्राप्त करता है, ज्ञान से अमरता ।]

ईष उपनिषद् ॥११॥

शोध (कार्यक्रम)

भारत सरकार के योजना आयोग और भिन्न भिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत शोध घटकों (Cells) द्वारा जो शोध कार्य आयोजित किये जा रहे हैं, उनका एकीकरण होना चाहिये—यह स्पष्ट है । एकीकृत शोध एजेन्सी योजना आयोग के आधीन होना चाहिये अथवा भारत सरकार को इस विषय का निर्धारण प्रशासकीय विज्ञान के विशेषज्ञों द्वारा सर्वोच्च ढंग से हो सकता है, परन्तु सम्पूर्ण विभाग को यदि भारत सरकार के आधीन किया जाय, तो योजना आयोग के लिये इस विभाग द्वारा अपना काम कराना कठिन न होगा ।

यह भी एक विषय है कि जो शोध कार्य केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की शोध एजेन्सियों द्वारा आजकल किया जा रहा है, उन सभी कार्यों को एकत्रित किया जाना चाहिये । राज्य सरकारों के भिन्न भिन्न इकाइयों द्वारा किये जाने वाले कार्य को केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित विभाग को ले लेना चाहिये ।

यदि ये दोनो सुझाव क्रियान्वित किये गये, तो काम के दोहरापन होने से बचत होगी और कुशलता बढ़ेगी ।

जहाँ तक भारत सरकार के आधीन श्रम शोध का सम्बन्ध है, काम के अभिनवीकरण व पुनर्गठन के लिए बहुत स्थान है, उदाहरणार्थ— वहाँ इस प्रकार के कार्य के एकीकरण को सफल बनाने की आवश्यकता है । यह वह काम है, जो खदान सुरक्षा के मुख्य निदेशक और कारखाना सलाहकार सेवा एवं श्रम संस्थान के मुख्य निदेशक के आधीन किया जा रहा है । यह सत्य है कि सुरक्षा समस्यायें जो दोनों विभाग द्वारा की जा रही हैं, दोनों के स्वभाव में भिन्नता है, फिर भी दोनों में निकट का सहयोग बचत को लायेगा और कुशलता को बढ़ायेगा ।

यह भी सुझाव देने योग्य है कि शोध कार्य जो श्रम ब्यूरो रोजगार व प्रशिक्षण के मुख्य निदेशक एवं मुख्य श्रमायुक्त के कार्यालय के आधीन किया जा रहा है, को सम्मिलत करना चाहिये ।

सरकार की इस प्रकार की संगठित एजेन्सी को जहाँ एक ओर केन्द्रीय आकड़ा सम्बन्धी संगठन और राष्ट्रीय सेम्पल सर्वे (Nation sample sarvey) से निकट का सम्बन्ध रखना चाहिये, वहीं दूसरी ओर केन्द्रीय राज्य कर्मचारी बीमा निगम, केन्द्रीय भविष्य निधि निगम, रेलवे बोर्ड डाक और तार आदि से भी सम्बन्ध रखना चाहिये । यह कहना आवश्यक नहीं कि भिन्न भिन्न राज्य सरकारी विभागों के शोध विभाग एक संगठित एजेन्सी के रूप में लाये जाने चाहिये । इस एजेन्सी को विश्वविद्यालयों, सामाजिक विज्ञान संस्थानों, भारतीय श्रम सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था सोसाइटी, सामाजिक कार्य के शिक्षा केन्द्र, श्रमिकों और ट्रेडयूनियन संगठनों के शोध केन्द्र और भारत में यूनेस्को शोध केन्द्र से निकट का सम्पर्क बनाना चाहिए भिन्न भिन्न एजेन्सियों द्वारा किए गए शोध कार्य की एकीकरण की आवश्यकता को लोकसभा की अनुमान समिति (Estimates Committee) ने ठीक ही प्रशंसा की है और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सामाजिक विज्ञान शोध के लिए कौन्सिल के गठन का सुझाव दिया है । जब तक यह सुझाव पारित और कार्यान्वित नहीं होता, एकीकरण का काम हमारे द्वारा सुझाया एक सामूहिक एजेन्सी को कार्यान्वित करना चाहिये ।

इस संदर्भ में विश्वविद्यालय और सामाजिक विज्ञान संस्थाओं के अन्दर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है, आजकल वे अपने आपको शास्त्रीय विषयों में ही व्यस्त रखते है, परन्तु उपयुक्त सहयोग, एकीकरण और अधिक वित्तीय सहायता से उन्हें विशेष व्यवहारिक समस्याओं पर शोध के काम को हितकारी ढंग से सौंपा जा सकता है। इससे उनकी खोज का स्वरूप तात्विक पक्ष के मुकाबले अधिक व्यावहारिक हो जायगा। यदि ऐसा किया गया तो औद्योगिक क्षेत्रों में इन संस्थाओं के शोधकर्ताओं को अधिक सम्मान प्राप्त होगा और निष्पक्ष होने के कारण नियोजकों और कर्मचारियों दोनों का वे आदर प्राप्त करेंगे। इस लाभकारी योजना के कारण एक निष्पक्ष विशेषज्ञों के वर्ग का विकास होगा, जो लम्बे काल से अनुभव होने वाली कमी को पूरा कर सकेंगे। इस वर्ग पर नियोजक और कर्मचारी दोनों ही तकनीकी और औद्योगिक विषयों पर सुझाव व मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए निर्भर हो सकेंगे। हमारे विश्वविद्यालयों और सामाजिक शिक्षा संस्थाओं द्वारा इस प्रकार के वर्ग को खड़ा करने के लिए चैतन्ययुक्त प्रयत्न करना चाहिए। पक्षपात न करने के कारण वे औद्योगिक सम्बन्धों के सभी पक्षों को दिशा दे सकेंगे एवं उनको दिशा दर्शन देने वाले सिद्ध हो सकेंगे।

नियोजकों और श्रमिकों में शोध भाव को पैदा करना और विकास करना–एक प्राथमिक आवश्यकता है। इस प्रकार की आम आकड़ों सम्बन्धी ज्ञान की अनुपस्थिति में शोध कार्य को ठीक प्रकार से और कुशलतापूर्वक करना बहुत कठिन होगा। हम यह नहीं सोचते कि इस प्रकार की चेतना ट्रेड यूनियन्स में इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु केवल वित्तीय सहायता प्रदान करने के कारण ही पैदा की जा सकती है। इस प्रकार की सहायता उसी समय अत्यधिक लाभदायक होगी, जब यह सहायता उचित चेतना व जिज्ञासा को पैदा करने के पश्चात दिया जाय बजाय इसके कि यह पहले दी जाय।

राज्य स्तर पर सरकारी एजेन्सी द्वारा, विश्वविद्यालयों द्वारा और अनधिकृत एजेन्सी द्वारा और श्रमिकों व नियोजक संगठनों द्वारा किये गये शोध कार्य का एकीकरण करने हेतु प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर एक सहयोग करने वाली समिति बनायी जानी चाहिए।

भारत सरकार शोध और उससे सम्बन्धित कार्य में प्रशिक्षित व्यक्तियों को बढ़ाने के लिये योजनाबद्ध प्रयत्न कर रही है।

शोध कार्य की महत्ता को ध्यान में रखकर हम सोचते हैं कि इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को विशेष सामाजिक जिम्मेदारी प्रदान करना आवश्यक है, जिसके अन्तर्गत इन्हें कुछ अधिक आय और नौकरी की सुविधाजनक साधनों के साथ साथ इन्हें सामाजिक सम्मान भी देना चाहिये, ताकि इस प्रकार के काम के लिए प्रोत्साहन मिल सके।

यदि अपनी भिन्न भिन्न शोध एजेन्सीज को ऊपर लिखे सुझावों के आधार पर पुनः संगठित करने और उन्हें पनः सशक्त जीवन प्रदान करने के लिए सभी प्रकार के केन्द्रित प्रयत्न किए गए तो हम श्रमिक क्षेत्र में शोध व अध्ययन के लिए उपयुक्त व्यवस्थायें कर सकते हैं। ये उतने उपयुक्त होंगे कि श्रम और आर्थिक विषयों में नीति बनाने की आवश्यकताओं को उपयुक्त रूप से वे निभा पावेंगे। शोध भाव के बढ़ने के साथ सभी प्रकार के शोध कार्य का सम्पूर्ण उपयोग सभी पक्षों द्वारा जो अधिकृत अथवा अनिधिकृत हों, किया जा सकेगा। आजकल केवल सरकार ही श्रम सम्बन्धी उपलब्ध जानकारी को किसी व्यावहारिक उपयोग के लिए कर रही है, और वह भी मुख्यतः भिन्न भिन्न श्रमिक कानूनों के लागू करने में। अपनी श्रम नीतियों को बनाने में भी भिन्न भिन्न सरकारें उपलब्ध जानकारी का पूरा उपयोग नहीं कर रही हैं। नियोजक और श्रमिक इस नयी दिशा के कारण एकत्रित की गई, जोड़ी गई और प्रकाशित की गयी जानकारी पर अधिक निर्भर रहने की स्थिति को पैदा कर सकेंगे, क्योंकि वे अपने हितों की सुरक्षा एव बढ़ोत्तरी में इसके उपयोग को मानने लग जायेंगे। ऐसी परिस्थितियों में समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और अन्य विशेषज्ञ भी इसकी सम्पूर्ण उपयोगिता को काम में लायेंगे। निश्चय ही इस प्रकार की जानकारी के शीघ्रतम प्रकाशन और व्यापक प्रकार की आवश्यकता अनिवार्य है, किन्तु अभी इस हेतु वर्तमान व्यवस्था अपूर्ण है।

राज्य और केन्द्र के भिन्न भिन्न कानूनों के आधीन एकमात्र ऐसा कानून होना चाहिये, जिसके अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कागजात (Returns) को एक मात्र एजेन्सी के पास जमा करने का प्राविधान होना चाहिए। भिन्न भिन्न कानून और उनसे प्रभावित क्षेत्रों के अन्तर्गत विचारों और उनकी परिभाषाओं की असमानता की कठिनाइयां इस सुझाव के द्वारा दूर हो जावेंगे, साथ ही पर्याप्त मात्रा में यह व्यवस्था अनुपयुक्त व अनुउत्पादक दोहरेपन को हटायेगा, जो कि

भिन्न भिन्न आलेखों (रजिस्टरों) के बनाये रखने और कुछ भिन्न प्रकार के कानूनों के अन्तर्गत उन्हें जमा करने की भिन्न भिन्न कानूनी आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप है।

आकड़ों के एकत्रित करने का कार्य पूर्णरूपेण कानूनी आवश्यकताओं से सम्बन्धित नहीं होना चाहिए, न ही इन्हें कानून द्वारा थोपी गयी सीमाओं के अन्तर्गत निहित होना चाहिए। आकड़ों का व्यापक विस्तृत होना चाहिए, ताकि कानून में लाये गये संशोधनों अथवा विभिन्न कानूनों में इन आकड़ों की व्यापकता के अन्तर के कारण बुरा परिणाम न हो सके। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर आकड़े एकत्रित करने के वर्ष १९५३ के कानून में समुचित संशोधन करना चाहिये। इसके द्वारा समुचित विषयों से सम्बन्धित विचार, परिभाषा और व्यापकता में समानता लायी जानी चाहिये।

काम की रुकावट (हड़ताल और तालाबन्दी) के सम्बन्ध में आजकल जो आकड़े एकत्रित किये गये हैं और जो हिसाब लगाया गया है, औद्योगिक अशान्ति के प्रकार एव मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है। काम बन्दी की सख्या, उसमें सम्मिलित श्रमिकों की सख्या, विनष्ट हुये काय दिवस की सख्या, कुल हानि का रुपयों में आंकलन, सम्पूर्ण उत्पादन का रुपयों मे ह्रास जो हड़तालों अथवा तालाबन्दी के अलावा अन्य मामलों के कारण जैसे कि बिजली की कमी, अनुपयुक्त कच्चे माल का आगमन, उपकरणों के लाने और माल के परिवहन मे कठिनाई, राजनीतिक आन्दोलन और सहानुभूति में की गई हड़तालें, बन्द, स्थानीय समस्यायें आदि व्यौरों को भी एकत्रित करना चाहिये। अनुपस्थिति, धीरे काम करो, नियमानुसार काम और घेराव आदि विषयक आकड़े भी उपलब्ध होने चाहिये। हड़ताल सम्बन्धी आकड़ो का काम भी विस्तृत होना चाहिये और हड़ताल के कारण तथा उसके निराकरण का वर्गीकरण भी किया जाना चाहिये।

वर्तमान आकड़े श्रमिकों के जीवन के आर्थिक पहलू से ही मुख्य रूप से सम्बन्धित है, परिणामस्वरूप ये आकड़े एकतरफा चित्रण प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष जिसके अन्तर्गत श्रमिकों को सर्वसाधारण नागरिक के रूप में देखना चाहिये। को भी उचित महत्ता में प्रदान करनी चाहिये। वर्तमान वर्गीकरण अव्यवहारिक है और यह सम्भव है कि यह गलत

परिणामों की ओर ले जाय। हमें श्रमिक की मानसिक आदतों पर सामाजिक कुरीतियों के प्रभाव से सम्बन्धित आकड़ों प्रस्तुत करना चाहिये और साथ ही औद्योगीकरण का उनके परिवारों की नैतिकता और उत्थान पर प्रभाव सम्बन्धी आकड़े भी प्रस्तुत करने चाहिये। श्रमिकों के सामाजिक रीति-रिवाज सम्बन्धी आकड़े भी बड़े लाभकारी होंगे।

आजकल जो अर्थ सम्बन्धी आकड़े मिलते हैं, अनुपयुक्त हैं। निर्माण कार्य काफी बागान, परिवहन, घरेलू उद्योग, लघु उद्योग, स्वयं रोजी क्षेत्र (विश्वकर्मा सेक्टर), कृषि, कोयला खादान को छोड़-शेष खदान और सभी संस्थान जो १० से कम श्रमिकों से काम लेते हैं, के सम्बन्ध में उपयुक्त और नियमित आकड़े एकत्रित करना चाहिये और उनका हिसाब लगाना चाहिये। इसी प्रकार देश में बेरोजगारी और अर्द्ध बेरोजगारी, श्रमिकों के ऋण और खर्चे सम्बन्धी विधियाँ, ठेके के कर्मचारियों की दशा, उत्पादकता आन्दोलन, बारम्बार औद्योगिक दुर्घटनाओं के होने की संख्या और उसकी तीव्रता, मृत्यु और स्थायी रूप की पंगुता के कारण समय का नष्ट होना और भिन्न भिन्न उद्योगों के वास्तविक काम के घण्टों से सम्बन्धित आकड़ों को भी एकत्रित करना चाहिये।

बेरोजगारी, रोजगारी, खपत, खर्चे आदि के बारे में क्रमबद्ध गणना (स्टैटिस्टकल डाटा) आदि जो शहरी आबादी के बारे में हर वर्ष राष्ट्रीय सेम्पुल सर्वे द्वारा इकट्ठे किये जाते हैं, उपयुक्त या पर्याप्त नहीं हैं। यह सम्भव है और परामर्श के योग्य है कि इस प्रकार के आकड़े हरएक राज्य/क्षेत्र में ग्राम श्रमिक के लिए पृथक रूप से उपलब्ध होने चाहिए। सम्बन्धित जानकारी, जिसमें कृषि संबन्धी श्रमिक के वेतन के दर भी सम्बन्धित हैं, को वार्षिक स्थिति के रूप में इकट्ठा करना चाहिए।

सूचकांक आकड़े

वर्तमान काल में श्रमिक संगठनों ने अत्यधिक विस्तार से दर्शाया है कि किस प्रकार भिन्न भिन्न जीवन मूल्य निर्देशांकों के हिसाब और रख रखाव को गलत आधार पर किया जा रहा है। जीवन मूल्य निर्देशांक में संशोधन और

उसके शीघ्र प्रकाशन का होना—वेतन भोगियों के लिए अत्यन्त महत्व का विषय है, क्योंकि उनके सम्पूर्ण आय का बहुत बड़ा भाग मसिक अथवा द्वैमासिक सूचकांक से सम्बन्धित रहता है। श्रम नीति पुस्तक के अध्याय ६ और अध्याय १० में इसे इंगित करने का अवसर हम पहले प्राप्त कर चुके हैं कि कृषि व शहरी और ग्रामीण मेहनतकश व ग्रामीण मजदूर के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का हिसाब करने व उनको बनाये रखने तथा भिन्न भिन्न शहरों और क्षेत्रों की तुलनात्मक महगाई के लिए मूल्य सूचकांक की बनावट को एक सामूहिक एजेन्सी के अन्तर्गत सुपुर्द करना चाहिए। इस एजेन्सी को राष्ट्रीय विश्लीय समिति के आधीन और नियन्त्रण में काम करना चाहिए। यहा पर स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सभी श्रम सम्बन्धी क्रमबद्ध आकड़ों के समान और उससे भी अधिक जीवन मूल्य निर्देशांक के मामलों में सर्वे और प्रकाशन के सभी क्रमों पर श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग बहुत महत्व के हैं। सर्वे की प्रतिलिपि के क्रम से नमूने के तौर पर किये गये अध्ययन की दशा में प्रश्नावली को अन्तिम स्वरूप देने, सर्वे और खोज के स्टाफ के प्रशिक्षण को देने के साथ प्रारम्भ से ही यह सहयोग बने रहें और पूछ ताछ की लम्बी प्रक्रिया में भी सम्बन्धित रहें और तत्पश्चात निम्नलिखित बिवरण को बनाने और रेखाचित्र को खींचने में वे सम्मिलित रहें, जैसे—तुलनात्मक महत्व और मासिक पूछ ताछ के फार्म तैयार करने, वस्तुओं के विशेष बिस्तार पूर्वक बिवरण को निर्धारित करने, अवश्यभावी पूरक वस्तुओ की पूर्ति की प्रक्रिया को निर्धारित करने सभी वस्तुओं की फुटकर कीमतों के सम्बन्ध मे हर मास के क्रमबद्ध आकडे को एकत्रित करने हेतु दूकानों के चयन, मकान किराया और यातायात कीमत, शिक्षा, औषधियों आदि विषयों को निर्धारित समय के भीतर निरीक्षण करने आदि। जब तक श्रमिकों को सूचकांक के क्रमबद्ध आकड़ों के हिसाब व रख रखाव के भिन्न भिन्न श्रेणियों, ऊपर लिखी प्रक्रिआयों और श्रमिकों के परिवार में काम करने और रहने की दशा को सर्वे से सम्बन्धित नही किया जाता और प्रत्येक दशक वर्ष में व्यापक रूप से सर्वे को नहीं किया जाता तथा इनके परिणामों को वेतन नीति और श्रम कानूनों को बनाने में व्यापक ढंग से प्रयोग नहीं किया जाता, सामाजिक पूछताछ के इस अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू और श्रम सम्बन्धी क्रमबद्ध आकड़ों की धुरी को अपना उचित और सही स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। इन क्रमबद्ध आकड़ों के आधार पर बनायी गई कल्पना की जाँच करना एक अच्छी बात होगी और यह जाँच विस्तृत नमूने पर की

गई पूछताछ के आधार पर हो, जो समय समय पर रेन्डम (Random) के आधार पर अथवा वर्गीकरण के अधार पर हो। जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन सूचकांक को भी दशक वर्षीय सर्वे और निर्धारित समय पर नमूने के तौर पर की गई पूछताछ की सहायता से भी जांचना चाहिए। वेतन सम्बन्धी भिन्न भिन्न विचारों, जैसे— न्यूनतम और जीवन वेतन तथा उचित वेतन में दूरी को भी इन विभिन्न जानकारियों के आधार पर मिले आकड़ों के प्रयोग से वित्तीय अंकीकरण का स्वरूप दिया जा सकता है। इसी भांति उपभोक्ता ऋण सम्बन्धी नीति, विशेषतया आवास व्यवस्था के कार्यक्रम के लिए ऋण, जीवन बीमा, सामाजिक सुरक्षा योजनायें, लघुबचत योजना, कर आदि सम्बन्धी नीतिमों को सम्बन्धित वार्तालाप और सेमिनार तथा अध्ययन के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए, जो कर्मचारियो के जीवन व कार्य दशा के सर्वे के विश्लेषण से बना हो। इस सदर्भ में जानकारी सम्बन्धी क्रमबद्ध आकड़ों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

शोध (आधारभूत)

और यह भी अनिवार्य है कि आधुनिक साथ भारतीय तकनीकी के शोध निम्नलिखित दृष्टिकोण से किए जाने चाहिए।

(१) विदेशी तकनीकी की इसलिए जाँच की जाय कि उसका कौन सा भाग हमारी सांस्कृतिक ढांचे के अनुकूल बैठती है और अपनायी जा सकती है तथा यह किस प्रकार सम्भव है।

(२) परम्परागत तकनीकी की जाँच करायी जाय—यह मालूम करने के लिए कि उसका कौन सा भाग आधुनिक परिस्थितियों में अपनाया जा सकता है।

(३) अपने सांस्कृतिक ढांचे के अनुरूप स्वत: के स्वदेशी तकनीकी के विकास को निम्नलिखित सावधानियों के साथ करना चाहिए—

[अ] विद्युत और आणविक शक्ति की सहायता से उत्पादन की प्रक्रियाओं के अन्तर्गत विकेन्द्रीकरण की दिशा प्राप्त हो।

[ब] उत्पादन के वर्तमान व परम्परागत पद्धतियों को बदलकर एकदम अकस्मात पूंजी निग्रह (Decapatalisation) को दिशा नहीं लेनी चाहिए, बल्कि इसके विपरीत इसके द्वारा बिना पूंजी निग्रह के यंत्रीकरण के उचित परिवर्तन लागू करनी चाहिये।

[स] हमारी परम्परागत शिल्पी और हस्तकलाकारों की वर्तमान कुशलता और बुद्धिमता तथा विद्वता का उपयोग करे और प्रोत्साहन दें, न कि उन्हें उत्पादन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बेकार बनाये।

[द] देश में उपलब्ध पूंजी की छोटी छोटी इकाइयों का सदुपयोग करें।

[इ] देश में प्राप्त प्रबन्धकीय कुशलता का उपयोग करें और प्रोत्साहन दें, न कि उन्हें नौकरी से उठा फेकें।

यह भी आवश्यक है कि प्राचीन भारत के औद्योगिक ढांचे को औद्योगिक सम्बन्धों और कानून में शोध इस दिशा में करें कि उसका कौन सा भाग आज भी लाभकारी रूप से उपयोग किया जा सकता है। चूंकि शोध एक विशेष दिशा देने में क्षम्य होता है, अतएव श्रमिक क्षेत्र इससे अछूता नहीं माना जा सकता। यह परामर्श के योग्य है कि भारतीय विद्वता और आधुनिक परिस्थितियों की सर्वोच्च उपयोगी प्रभावी सामाजिक आर्थिक ढांचे की रूप रेखा तय्यार की जाय। इस प्रकार की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की आम रूप रेखा की अनुपस्थिति में यह सम्भव होगा कि श्रम क्षेत्र में हमारे प्रयत्नों को एक निश्चित दिशा दी जाय। सभी दिशाहीन गतिविधियों के उद्गम केवल मात्र पैबन्द लगे हुये हैं। इस कार्य को रूढ़िवादी राजनीतिज्ञों की सुरक्षा हेतु नहीं सौंपा जा सकता, क्योंकि हम जो आकांक्षाये बनाये है, उनके अनुसार पाश्चात्य और पूर्व के सम्पूर्ण ज्ञान का उसमें समावेश है और इस ज्ञान को परिवर्तित कर हमें उसे सामाजिक आर्थिक जागृति युग का आधार बनाना है। समावेश का अर्थ यह नहीं है कि हम यूरोपियन ढांचे को रूढ़िवादी ढग से लें, बल्कि हमें उस पक्ष की ओर ले जाना है जिसे वह प्रस्तुत करता है, जिस भाव को वह प्रकाशित करता हैं और उसके उच्चतम जीवन और अस्तित्व के अभिप्राय अपनी सांस्कृतिक कल्पना के अन्तर्गत तर्क संगत हो और इस प्रकाश में उसके

औचित्य, क्षेत्र, मात्रा, ढाँचे तथा दूसरे विचारों से इसके सम्बन्ध, इसक कार्यान्वयन के लिए हम ब्योरेवार रूपरेखा बनायें। किसी और के मुकाबले में शोध छात्र ही इस कार्य को करने में समर्थ होंगे।

क्या यह शोध परियोजना ऊपर लिखी एक व्यापक एकीकृत एजेन्सी के अन्तर्गत सौंपी जा सकती है ? प्रशासकीय निर्णय का यह विषय है ! परन्तु इस एजेन्सी को यह निश्चित प्रगट करनी चाहिए कि इस काम को लिया जा सकता है और उसे पूरा किया जा सकता है।

समाचार व प्रकाशन

अपने दूसरे सदस्यों से सम्बन्ध बनाने व सचार व्यवस्था हेतु श्रमिक और नियोजक सगठन पत्रक, पत्रिकायें व समाचार बुलेटिन का प्रयोग करते हैं। प्रचार हेतु सम्मेलन, तध्ययन गोष्ठी, शिक्षण शिविर, पुस्तिकायें, पर्चे, भीतिपत्र, समाचार, प्रेस सम्मेलन, द्वार सभा, जुलूस, मोर्चा, प्रदर्शन, भूख हड़ताल आदि कार्यक्रम श्रमिकों द्वारा उपयोग में लाये जाते हैं। वर्तमानकाल में नियोजक अपने विवादों और दृष्टिकोणों को प्रचारित करने के लिये समाचार पत्रों में मूल्य देकर विज्ञापित करते हैं। इस प्रकार के प्रचार जैसा कि बम्बई के 'बेस्ट' प्रबन्ध ने पिछली हड़ताल के दौरान की थी— एक टिप्पणी करने योग्य उदाहरण हैं।

कुछ ट्रेड यूनियन केन्द्र अपनी मासिक और पाक्षिक पत्रिकायें चलाते हैं, परन्तु उनका वितरण उनके नियमित सदस्यों के एक भाग तक ही सीमित है। श्रमिक समाचार एवं प्रकाशन की अभी नींव रखी जा रही है। इसकी प्रगति समाधान के योग्य नहीं है। यह आवश्यक है कि श्रमिक समाचार और प्रकाशनों को श्रमिकों के प्रशिक्षण और अधिकृत सहायता द्वारा सुदृढ़ किया जाय।

पिछले दशक में भारतीय प्रेस ने श्रमिक विषयों में क्रमशः अधिक दिलचस्पी दिखलाई है। श्रमिक समाचारों की व्यापकता में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुयी है और कुछ नियमित रूप से श्रमिक विषयों पर कालम प्रस्तुत करते हैं। प्रान्तीय भाषाओं के समाचार पत्र आमतौर से श्रमिक समाचारों को अधिक उदार भाव से छापते हैं। कुछ विशेष विषय सम्बन्धी दैनिक समाचार पत्र जैसे— इकनामिक टाइम्स और फाइनेन्सियल इक्सप्रेस इस संदर्भ में अच्छी सेवा कर रहे हैं।

इसके पश्चात भी यह सत्य है कि श्रमिक विवाद और समस्यायें समाचार पत्रों द्वारा उपयुक्त ढग से प्रचारित नही किये जाते। जब कभी समाचार पत्रों मे प्रकाशित होता है तो वे आम तौर से हड़ताल, भूखहड़ताल, समाज विरोधी गतिविधियो व सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान आदि के बारे म ही होते हैं, यह इसलिये, क्योंकि सम्पादकीय स्तरों के अनुसार सनसनीखेज घटनायें ही समाचार बनाती है। समाचार के दृष्टिकोण से औद्योगिक सामान्जस्य और श्रमिकों की रचनात्मक उपलब्धियां बहुत कम मूल्य रखती है। एक मनुष्य द्वारा कुत्ते को काट लेना— प्रथम श्रेणी का समाचार है, जबकि एक कुत्ते का मनुष्य को काट लेना, बिलकुल ही समाचार नहीं है। आम तौर से जन समुदाय की शिक्षा, विशेषकर औद्योगिक विषयों में श्रमिकों की शिक्षा को भारतीय प्रेस अपने उद्देश्यों में नहीं स्वीकार करता। उनके प्रयत्न सार्वजनिक रुचि के स्वार्थ तो है, किन्तु उन्हें ढालने के लिये प्रयत्नशील नहीं है। जब तक प्रेस इस वाणिज्य-कीय तौर तरीके पर चलता है, तब तक ऐसे अवसर उपलब्ध नहीं होंगे जिसमें कि शोध गतिविधियां और औद्योगिक रचनात्मक गतिविधियां समाचार पत्रों में अपना स्थान पायें। जिस वस्तु की आश्यकता है, वह है प्रेस की पद्धति और दृष्टिकोण के रुझान में परिवर्तन का होना। वर्तमान परिस्थितियों में प्रेस न श्रमिक विषयों पर जन सनुदाय को शिक्षित कर सकता है और नहीं औद्योगिक विवादों पर लिये गये निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। वह न्याय सगत और ठीक औद्योगिक सम्बन्धों के प्रोत्साहन में प्रभावी भूमिका निभाने में न सहायक हो सकता है और न ही रुकावट बन सकता है।

समस्या का निदान श्रमिकों की श्रमिक प्रेस समाचार पत्र बनाने की शुरुआत में निहित है और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका की महत्ता को समझाकर आम समाचार पत्रों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाना है। यह किस हद तक व्यवहारिक है, कोई भी अनुमान लगा सकता है।